भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करके पुलिस के काम को आसान बनाया जा सकता है। हालांकि 1985 में वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में भ्रष्टाचार के प्रमुख स्त्रोतों को कई भागों में बांटा गया है।[10] इन सभी स्त्रोतों को बंद करके पुलिस को सशक्त किया जाना आवश्यक है। देश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने वाले तंत्र के लिए इस तरह की पहल की जानी चाहिए।

संदर्भ स्त्रोत–

1. स्टीफेन, जनरल व्यू घ्फ क्रिमिनल लॉ घ्फ इंग्लैण्ड, पृ.–3, उर्द्धित, मिश्रा, सूर्यनारायण एवं मिश्रा कुमार, संजय, भारतीय दण्ड संहिता, इलाहाबाद लॉ एजेंसी, 2007, पृ.–3।
2. रोजा, ए. पदमा और शकील, बी, सुजाता, लुकिंग इनवर्डस – आईपीएस टर्नड 50, हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली, 18.10.1998, पृ. 1 एवं 4।
3. भारत में अपराध– 2019, VOL-1 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, https://ncrb-gov-in/en/crime&india–2019–0।
4. बेदी, किरण, भारतीय पुलिस जैसा मैंने देखा, पृ. –13।
5. सात संकल्प, सात मुद्दे और अनेक ठोस तथ्य, हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 26. 1.2009, पृ. 10।
6. जैन, सुरेश चंद्र, पुलिस एवं अदालतों में नागरिक सहभगिता, (कंसेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली –2005) पृ.–60।
7. संपादकीय, दो टूक न्याय, जनसत्ता, नई दिल्ली, 30.11.1999, पृ.– 6।
8. सोली सोराबजी आयोग (2005) की अनुशंसा, उर्द्धित, मेहरा, के. अजय, पुलिस रिफॉर्मिंग एण्ड सिक्योरिटी, में स्ट्रीम, अगस्त 17–23, 2007, पृ. 37।
9. भारत में अपराध– 2019, टल्.1 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, https://ncrb-gov-in/en/crime & india–2019–0
10. राजकिशोर, आज के प्रश्न भ्रष्टाचार की चुनौती, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1995,10. राजकिशोर. आज के प्रश्न भ्रष्टाचार की चुनौती. वाणी प्रकाशन. नई दिल्ली. पृ.– 76।

******

महात्मा गाँधी के विचार में स्त्रीत्त्व स्थान : एक मूल्यांकण

सद्दाम हुसैन*

सारांशः– नारियों को जागरूक और सचेत बनाने की प्रक्रिया में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। गांधीजी नारी समानता हेतु नारियों का शिक्षित होना आवश्यक मानते हैं। 'हरिजन' के एक अंक में उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है– ''मैं स्त्रियों की समुचित शिक्षा का हिमायती हूँ, लेकिन यह भी मानता हूँ स्त्री दुनिया की प्रगति में अपना योग पुरुष की नकल करके या उसकी प्रतिस्पर्धा करके नहीं दे सकती है चाहे तो वह प्रतिस्पर्धा कर सकती है परन्तु पुरुष की नकल करके वह उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकती, जिस ऊँचाई तक वह पहुँच सकती है। उसे पुरुष का पूरक बनना चाहिए। गांधीजी स्त्री–शिक्षा को पुरुष शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा– पुत्र को शिक्षित करने का अर्थ है एक सदस्य को शिक्षित करना और स्त्री को शिक्षित करने का दो परिवारों को शिक्षित करना।''

महात्मा गांधी के मानस पटल में यह बात स्पष्ट रूप में थी कि महिला उत्थान की केवल नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने तथा अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने की पूर्व शर्त भी है। गांधीजी ने जिस बात का स्वप्न देखा था वह अधिकारों, समान अवसर और समान भागीदारी वाली अधिक न्यायोचित और मानवीय दुनिया की दिशा में की जा रही यात्रा का एक कदम भर है। उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की उन्नति हेतु बहुत सराहनीय प्रयास किया था। वे यह निश्चित रूप से मानते थे कि स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार किये बिना भारत की सर्वतोमुखी प्रगति संभव नहीं है। भारतीय समाज में नारी का स्थान पूजनीय रहा है। समाज तथा सभ्यता के विकास में महिलाओं का यागे दान सर्वोपरि रहा है और कभी वह बेटी बनकर परिवार की शोभा बढ़ाती है तो बहन बनकर भाइयों से दुलार करती है, वहीं माँ बनकर संतान का लालन–पालन करती है। बड़ी होने पर भी उसका सम्मान कम नहीं होता और वह दादा–नानी बनकर गौरवमय जीवन जीती है। भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व

*(एम0 ए0 और यूजीसी–नेट, राजनीति विज्ञान)

में स्त्री का स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है। जहाँ भी स्त्री के सम्मान को चोट पहुँची है वहाँ विकास नहीं विनाश हुआ है।

प्रस्तावनाः– भारतीय महिला जागरण के इतिहास में गांधी युग स्वर्णयुग माना जा सकता है। जब गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1931 के करांची अधिवेशन के दौरान आजादी में महिलाओं को बराबर संवैधानिक अधिकार देने की बात कही तो इसका कहीं भी रत्तीभर भी विरोध नहीं हुआ। गांधीजी के आदेशों और इच्छाओं के अनुरूप देश की स्त्रियों की सार्वजनिक जीवन में क्रियाशीलता ने संपूर्ण अंग्रेजी शासन को विवेकहीन बना दिया। गांधीजी ने स्त्रियों के लिए सारी शक्ति खोल दी। वे जिस प्रकार हरिजन उत्थान हेतु प्रतिबद्ध थे, उसी प्रकार महिला सुधार की दिशा में सतत् प्रयत्नशील रहे। गांधीजी की दृष्टि में करूणा, त्याग तथा प्रेम की अधिष्ठात्री नारी समाज में अस्तित्वहीन है तो केवल इसीलिए कि समस्त रूढियों और सामाजिक नियम केवल पुरुषों के द्वारा ही बनाये गए हैं और वे सभी स्त्रियों के विरुद्ध हैं। जो नारी विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, गांधीजी इस सत्य से पूरी तरह अवगत थे और इसलिए गांधीजी का मानना था कि विकास की धारा से यदि स्त्रियों को नहीं जोड़ा गया तो विकास की परिकल्पना कभी साकार नहीं हो सकेगी। 'यंग इंडिया' में उन्होंने स्त्रियों की वकालत करते हुए लिखा था– ''स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता नहीं कर सकता। मेरी राय में कानून की तरफ से स्त्री के लिए वैसी कोई रूकावट नहीं होनी चाहिए जो पुरुष के लिए नहीं है। उन्होंने नारी और पुरुष की समानता, बालविवाह, बाल विधवाओं की स्थिति, दहजे –प्रथा, पर्दा–प्रथा, देवदासी–प्रथा आदि सामाजिक समस्याओं के संबंध में विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त किए हैं जो नारी के प्रति उनके उदार तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण के द्योतक हैं।[1] महिला उत्थान या महिला सशक्तिकरण का प्रश्न विश्व के समाज सुधारको, नेताओं एवं बुद्धिजीवियों के लिए वर्षों से चिन्ता का विषय रहा है। गांधी ने कहा था 'मैं औरतों और मर्दों में कोई फर्क नहीं करता।'[2] उन्होंने स्त्री एवं पुरुष को समान माना है। विनोबा के विचारानुसार संस्कृत में बहनों के लिए एक शब्द अबला और दूसरा शब्द महिला है। अबला के माने दुर्बल, कम ताकतवाली, रक्षणीय और महिला का अर्थ होता है महान,[3] बहुत ताकतवाली। 'स्त्री' शब्द में 'स्तृ' का अर्थ होता है विस्तार करना, फैलाना।

हमारे समाज में ऐसी अनके जानी मानी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समाज में अपना स्थान बनाया है। इन महिलाओं ने इस बात की पुष्टि की है कि सचमुच में महिलाओं की भलाई के प्रति गांधीजी का पूरा सरोकार था और उनके शब्दों

तथा कार्यों की महिलाओं पर जबरदस्त असर होता था। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लिखा है– ''बुद्ध के बाद से शायद किसी भी एक व्यक्ति ने अपने उपदेशों से करोड़ों लोगों की नियति को उस तरह से नहीं बदला होगा, जिस तरह गांधीजी ने बदला।'' वूमन्स यूनियन ऑफ सेल्फ एम्प्लाइड यूमेन एसोसिएशन (सेवा) के संस्थापक अध्यक्ष इला आर. भट्ट का कहना है ''अगर गांधीजी ने यह पहल नहीं की होती तो मैं आज वहाँ नहीं होती जहाँ पर अभी हूँ।''[5] स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नारी' नामक पुस्तक में लिखा है कि, 'पश्चिम की नारी पहले पत्नी है, फिर मां जबकि भारत की नारी पहले मां है और बाद में पत्नी। पाश्चात्य देशों में गृह की स्वामिनी और शासिका पत्नी है, भारतीय गृहों में घर की स्वामिनी और शासिका माता है। पाश्चात्य गृह में यदि माता हो भी, तो उसे पत्नी के अधीन रहना पड़ता है, क्योंकि गृह स्वामिनी पत्नी है। हमारे घरों में माता ही सब कुछ है, पत्नी को उसकी आज्ञा का पालन करना ही चाहिए।[6]

गांधीजी चारित्रिक गुणों के आधार पर स्त्री को पुरुष से श्रेष्ठ मानते हैं। 'स्त्री और पुरुष में चरित्र की दृष्टि से स्त्री का आसन ज्यादा ऊँचा है, क्योंकि आज भी वह त्याग, मूक तपस्या, नम्रता, श्रद्धा और ज्ञान की मूर्ति है। राम के पहले सीता और कृष्ण के पहले राधा के नाम का उल्लेख अकारण नहीं है, उसका उचित कारण है।'[7]

स्त्रीपतन के कारण एवं निराकरण के उपाय के अन्तर्गत वैश्यावृत्ति या परस्त्रीगमन की आकांक्षा ने पुरुष को तथा विवशताओं ने महिलाओं को अपनी तृप्ति के लिए प्रोत्साहित किया है। 'यगं इंडिया' में 1925 को गांधी दुख व्यक्त करते हुए अगाह करते हैं कि ''यह बड़े दुख और अपमान की बात है कि मनुष्य की वासना की तृप्ति के लिए स्त्रियों को अपनी इज्जत बेचनी पड़े। पुरुष ने स्त्रियों का जो अपमान किया है, उसके लिए उसको कठिन दण्ड भोगना पडेगा।''[8] प्रायः यह देखने में आता है कि इस बुराई में पुरुष वर्ग ही अधिक भागीदार बनता है, जिस कारण समस्त पुरुष वर्ग लांछित और अपमानित है। गांधीजी का वैश्यावृत्ति के निदान हेतु मानना था कि 'जब तक स्त्रियों में सही असाधारण चरित्रवाली बहनें उत्पन्न होकर इन पतित बहनों के उद्धार का कार्य अपने हाथ में न लेंगी तब तक वैश्यावृति की समस्या हल नहीं हो सकती।'[10] गांधीजी स्त्री जाति पर लगे प्रत्येक बंधन को तोड़ना चाहते थे। स्वतंत्रता के बाद सरकारी एवं समाज–सुधार के प्रयत्नों से इस दिशा में पर्याप्त सफलता भी मिली है।

बाल–विवाह, अनमेल–विवाह यह प्रथा भी समाज के लिए तत्कालीन समाज में अत्यधिक दुखदायी था। गांधीजी शास्त्रों की दुहाई देने वाले ऐसे धर्म पुरुषों के मतों को भी स्वीकार नहीं करते कि कन्या का विवाह स्त्री–धर्म शुरू होने

से पहले हो जाना चाहिए। बाल–विचाह की दूषित प्रवृति को रोकने के लिए दो पक्षीय कार्य हो सकते हैं। प्रथम तो ऐसे कानून बन सकते हैं जिनसे विवाह आयु को बढ़ा दिया जाये, दूसरा मनुष्य में विवेक जाग्रत कर के। गांधीजी दूसरे विकल्प को अधिक महत्व देते हैं कि स्त्रियों को जागरूक होकर इस प्रथा का डटकर विरोध करना चाहिए। गांधीजी ने इस कार्य के लिए अखिल भारतीय महिला संघ को विशेष रूप से सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया था। समाज पर गांधीजी के विचारों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था, स्वतत्रंता के उपरान्त देश में अब यह प्रथा कहीं नहीं दिखाई देती, अपवाद स्वरूप कमजोर वर्ग में कभी एकाध उदाहरण मिल जाता है। सरकार अल्पव्यस्क आयु में विवाह को कानूनी निषेध भी कर दिया है। विधवा–विवाह के संबंध में गांधीजी की मान्यता प्रचलित मतों को अस्वीकार करते हुए समाज में विधवाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहे। वे स्वेच्छा से अपनाये गए वैधव्य को स्तुत्य मानते हैं लेकिन विवशताओं में इसे पाप कहते थे और घृणित मानते थे। उनका मानना था कि 'बलपूर्वक पालन कराया गया वैद्यव्य पाप है, स्वेच्छा से पालित वैधव्य धर्म है, आत्मा की शोभा है, समाज की पवित्रता की ढाल है।'[11] बाल–विवाह से उत्पन्न पाप का निराकरण करने का सहज उपाय विधवा पुनर्विवाह है। अतः गांधीजी का यह मत रहा है कि हिन्दुओं को पुनर्विवाह करने की बात को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। गांधीजी बाल–विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी अनमेल विवाह की स्वीकृति नहीं देते। विधवा–विवाह का प्रचलन एक साधारण तथ्य बन गया है।

गांधीजी महिलाओं के उत्थान में परदा प्रथा एक अनावश्यक अवरोध मानते थे। यह विवशता मुस्लिम आक्रान्ताओं के आने के कारण बनी थी। बाद में लोगों ने इसे पवित्रता को सुरक्षित करने का एक साधन समझा, किन्तु गांधीजी इस विचार के सर्वथा विरुद्ध थे। उनका मानना था कि पवित्रता कुछ परदे की आड़ में रखने से नहीं पनपती। बाहर से यह लादी नही जा सकती। परदे की दीवार से उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। उसे तो भीतर से ही पैदा होना होगा। गांधीजी के सद्प्रयासों का प्रभाव आज के महिला समाज पर यह है कि वह इस अनाचार की बेड़ी तथा निर्बलता के प्रतीक को अब प्रायः धारण नहीं करती।

दहेज–प्रथा एक कुप्रथा है जो मानसिक रूप से कुंठित और आर्थिक रूप से परिवार को अपंग बनाती है। सामान्य प्रचलित प्रथाओं में दहेज की राशि नकद (धन के रूप में) तथा सामग्री (सामान के रूप में) स्वीकार्य होती है। इस कुप्रथा का परिणाम यह होता है कि कन्या के माता–पिता आत्मग्लानि वश अपना अहित कर बैठते हैं और स्थिति आत्महत्या तक जा पहुँचती है। गांधीजी का मत है कि 'पैसे के लालच से किया गया विवाह, विवाह नहीं है, एक नीच काम है।'[12]

गांधीजी तो यह चाहते थे कि दहेज मांगने वाला हर व्यक्ति विवाह के अयोग्य ही घोषित कर दिया जाये, लेकिन यह सभी का दुर्भाग्य है कि विवाह के लिए धन चाहने वालों को किसी प्रकार भी प्रताड़ित नहीं किया जाता, वरन सम्मान पाता है। उनका मानना था कि 'हमें विवाह के लिए चुनाव का क्षेत्र स्वेच्छापूर्वक खुद बढ़ा ना होगा। जाति और प्रान्त की दोहरी दीवार तो टूटनी चाहिए।'[13] गांधीजी के विचारों का प्रभाव वर्तमान समाज पर पर्याप्त पड़ा है। अन्तर्जातीय विवाह एवं अन्तरप्रान्तीय विवाहों का सुझाव समयानुकूल तो है। साथ ही लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षित बनाने पर बल देते हैं। 'मां–बाप अगर लड़कों की तरह लड़कियों को भी ऐसी शिक्षा दे दें तो वे स्वतंत्र होकर अपनी जीविका कमा सकें, तो उन्हें अपनी लड़कियों के लिए वर ढढूंने की चिन्ता न करनी पड़े।'[14]

गांधी स्त्री–पुरुष समानता के प्रबल पक्षधर थे। वे कहते हैं कि जिस रूढ़ि और कानून के बनाने में स्त्री का कोई हाथ नहीं था और जिसके लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार हैं, उस काननू और रूढ़ि के जुल्मों ने स्त्री को लगातार कुचला है। अहिंसा की नींव पर रचे गये जीवन की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है।[15] यह ऐतिहासिक यथार्थ है कि कानून की रचना ज्यादातर पुरुषों के द्वारा हुई है और इस काम को करने में जिसे करने का जिम्मा मनुश्य ने अपने ऊपर खुद ही उठा लिया है, उसने हमेशा न्याय और विवेक का पालन नहीं किया है।[16] यदि इस मामले में विवेकपूर्वक न्याय किया गया होता तो स्त्रियों को शोषण का शिकार न बनाया गया होता और न ही उन्हें पुरुषों से हीन माना गया होता।

गांधी मानते हैं कि स्त्री पुरुष की साथिन है, जिसकी बौद्धिक क्षमतायें पुरुष की बौद्धिक क्षमताओं से किसी तरह कम नहीं है, पुरुष की प्रवृत्तियों, उन प्रवृत्तियों के प्रत्येक अंग और उपांग में भाग लेने का उसे अधिकार है; और आजादी तथा स्वाधीनता का उसे उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को है। जिस तरह पुरुष अपनी प्रवृत्ति के क्षत्रे में सर्वोच्च स्थान का अधिकारी माना गया है, उसी तरह स्त्री भी अपनी प्रवृत्ति के क्षत्रे में मानी जानी चाहिये। स्त्रियाँ पढना़–लिखना सीखें और उसके परिणाम स्वरूप यह स्थिति आये, ऐसा नहीं होना चाहिये। यह तो हमारी सामाजिक व्यवस्था की सहज अवस्था ही होनी चाहिये। महज एक दूषित रूढ़ि और रिवाज के कारण बिलकुल ही मूर्ख और नालायक पुरुष भी स्त्रियां से बड़े माने जाते हैं, यद्यपि वे इस बड़प्पन के पात्र नहीं होते और न यह उन्हें मिलना चाहिये।[17] बेटा–बेटी में भेद, विधवा प्रथा, दहेजप्रथा, पर्दा आदि स्त्रियों पर लादी गई परंपरा को गलत बताते हुए गांधी कहते हैं कि स्त्रियों के अधिकारों के सवाल

पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। पुत्रों और कन्याओं में किसी तरह का भदे नहीं होना चाहिय। उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार होना चाहिये।[18] पुरुष और स्त्री की समानता का यह अर्थ नहीं कि वे समान धन्धे भी करें। लेकिन जो काम पुरुष के करने के हैं, उनसे वह स्वभाव विरत होगी। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक के रूप में सजा है। जिस तरह उनके आकार में भेद है, उसी तरह उनके कार्य भी मार्यदित हैं।[19]

आधुनिक भारत में स्त्रियों को सामाजिक स्तर पर जागरूक करने व उनको नेतृत्व प्रदान करने और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने में गांधीजी का अतुलनीय योगदान हैं। स्त्री को स्त्रीत्व से आगे व्यक्तित्व देने में गांधीजी से बढ़कर शायद ही कोई इतिहास का चरित्र ठहर सके।[20] गांधीजी के आन्दोलन से दूासरा महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार स्त्रियों में दिखाई दिया। उत्तर भारत की स्त्रियां भी, जिनमें पर्दा प्रथा का भारी प्रचार है वे भी बड़ी संख्या में गांधीजी की सभा में उपस्थित होती थीं।

संदर्भ ग्रंथ

1. नारायण, जयप्रकाश; सम्पूर्ण क्रांति संमपूर्ण क्रांति का गज, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, संस्करण–तीसरा, अगस्त 2006, पृ0 18.
2. लोहिया, राममनोहर; समाजवादी आन्दोलन का इतिहास, पृ0 45.
3. पासवान, सकनू प्रज्ञाचक्षु; भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बडे करः सृष्टि और दृष्टि, भावना प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 40.
4. सिहं, सविता; 'गांधी और महिला सशक्तीकरण', रोजगार समाचार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2002.
5. विवेकानदं ; भारतीय नारी, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 1997, पृ0 37–38.
6. वीरा, ब्रिटेन, 'गांधीजीः ब्रिटने में '(आलेख), महात्मा गांधी 100 वर्ष, स. एस. राधा कृष्णन, वही, पृ0 23.
7. यंग इंडिया, 15 सितम्बर, 1921.
8. यंग इंडिया, 21 जुलाई, 1921.
9. हिन्दी नवजीवन , 28 मई, 1925.
10. हन्दी नवजीवन, 10 जुलाई, 1925.
11. यंग इंडिया, 3 फरवरी, 1927.
12. हरिजन, 25 जुलाई, 1936.
13. हरिजन, 5 सितम्बर, 1936.
14. गांधी, मोहन दास. कर्मचन्द्र., रचनात्मक कार्यक्रम, पृ0 332–34.

15. स्पीचेज एण्ड राइटिंग्ज ऑफ महात्मा गांधी, पृ0 424. 245
16. यंग इंडिया , 17 अक्तूबर, 1929.
17. हरिजन, 2 दिसंबर, 1939.
18. कालेलकर, काका एवं अन्य गांधी:, व्यक्तित्व, विचार और प्रभाव, वही, पृ0 493.
19. राधाकृष्णन, एस., महात्मा गांधी 100 वर्ष, वाराणसी, 1969, पृ0 164, 228, 230, 223, 224.

****